.महिला सशक्तिकरणः उपलब्धियाँ एवं चुनौतियाँ

10

डा० अनुराधा*

रूपरेखा :

–प्रस्तावना

–स्वाधीनता संग्राम के समय महिलाओं की स्थिति की विवेचना

–वर्तमान स्थिति से उसकी तुलना। किस तरह आज की महिला उस दौर की महिला से भिन्न है। आज वह अपने अधिकारों के प्रति किस प्रकार से जागरूक है

–सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयास – सरकारी और निजी, दोनों स्तरों पर

– ये सभी प्रयास महिलाओं को सशक्त बनाने में किस हद तक सफल हुए

– सशक्तिकरण की दिशा में बाधक तत्व अथवा चुनौतियाँ

– अवरोधों से मुक्त होने के उपाय

मनुस्मृति का यह चिर–परिचित श्लोक – 'यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमंते तत्र देवताः' इस बात का संकेत देता है कि प्राचीन काल भारतीय महिलाओं का स्वर्णिम काल था। पुरूष प्रधान व्यवस्था के बावजूद महिलाओं का समाज में सम्मान था, प्रतिष्ठा थी और उन्हें आगे बढ़ने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। अपने आध्यात्मिक ज्ञान और अगाध प्रतिभा से वे समाज को यह बताने में सक्षम हुई कि वे पुरूषों से किसी भी स्तर पर कम नहीं हैं। परन्तु मध्यकाल में स्थिति उतनी सुखद नहीं थी। उनकी प्रगति अवरूद्ध रही। ब्रिटिश काल की सामाजिक, राजनीतिक चेतना का असर हालांकि महिलाओं पर भी पड़ा लेकिन प्रगति कोई खास नहीं हुई। इसका कारण यह था कि ब्रिटिश सरकार ने इस ओर कुछ खास ध्यान नहीं दिया।

स्वतंत्रता के बाद सरकारों, महिला संगठनों, महिला आयोगों आदि के प्रयासों से महिलाओं के लिए विकास के द्वारा खुले। उनमें शिक्षा का प्रसार हुआ जिससे उनके आत्मविश्वास में वुद्धि हुई। आज वे राजनीति, समाज सुधार, शिक्षा, पत्रकारिता, साहित्य, उद्योग, विज्ञान आदि विभिन्न क्षेत्रों में पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। एक ओर तो यह परिदृश्य बेहद उत्साहजनक है, परंतु दूसरी ओर आज भी लाखों–करोड़ों महिलाएं गरीबी, शोषण एवं उत्पीड़न की शिकार

**असि० रिसर्च स्कालर, गांधी स्टडी सेंटर, आई०एन० पीजी कालिज, मेरठ*

हैं। देश में लाखों–करोड़ों महिलाएं गरीबी, शोषण एवं उत्पीड़न की शिकार हैं। देश में लाखों परिवार गरीबी में जी रहे हैं और गरीबी की सर्वाधिक मार इन परिवारों की महिलाएं झेल रही हैं। यही नहीं, घरों से बाहर काम करने वाली महिलाओं का शोषण बराबर जारी है। वे पुरूषों के समान कार्य करने के बावजूद उनके बराबर मजदूरी नहीं पाती हैं।

यह सर्वविदित तथ्य है कि सबसे पहले स्त्री ने ही पुरूष को घर बनाकर रहने की प्रेरणा दी, लेकिन आज उसी घर में स्त्री को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक आदि विभिन्न रूपों में घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है। परिणामस्वरूप स्त्री का अस्तित्व न केवल परिवार में बल्कि परिवार के बाहर भी कमजोर हुआ है। यही नहीं, घरेलू हिंसा पीड़िता के साथ–साथ उसके बच्चों पर भी गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती है। इसका परिणाम यह होता है कि बच्चे असामाजिकता की ओर उन्मुख हो जाते हैं क्योंकि परिवेश अपना असर छोड़े बिना नहीं रहता। एक सर्वेक्षण में पचास प्रतिशत महिलाओं द्वारा वैवाहिक जीवन में किसी–न–किसी प्रकार की हिंसा की बात स्वीकार की गई। ऐसे मामले कानूनी एजेंसियों तक कम ही पहुंच पाते हैं क्योंकि पति–पत्नी के बीच तकरार को निजी मामला माना जाता है।

एमनेस्टी इंटरनेषनल द्वारा हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में चालीस प्रतिशत विवाहित महिलाओं को महज इस कारण प्रताड़ित किया जाता है कि उनका बनाया भोजन या बार वे खुद हिंसा का समर्थन करने लगती हैं। लेकिन इन यातनाओं का असर उनके मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है ; समाज में आज भी सर्वाधिक उत्पीड़न विधवाओं का हो रहा है। युवा विधवाओं को तो अनेक प्रतिबंधों में जीना होता है। तीस पर यदि वह कामकाजी महिलाओं है, तो उसके चरित्र पर कीचड़ उछालने और ताने देने में लोगों को जरा भी संकोच नहीं होता। विधवा महिलाओं में बेसहारा महिलाओं को यदि जीविकोपार्जन का साधन नहीं मिलता तो कई बार वे नैतिक, अनैतिक कार्य करने को विवश हो जाती हैं। जो ऐसा नहीं कर पातीं, वे परेशान होकर अक्सर आत्महत्या का रास्ता अपना लेती हैं। महिलाओं से छेड़छाड़, बलात्कार और कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं के अलावा अन्य महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाएं भी लगातार हो रही हैं। उच्चतम न्यायालय ने यौन उत्पीड़न को गंभीरता से लेते हुए कुछ समय पहले सरकार को निर्देश दिया था कि वह सरकारी व निजी क्षेत्र में महिला यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उचित कानून बनाए।

सरकार ने महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने संबंधी कानून बनाने के

अतिरिक्त, महिला सशक्तिकरण आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए संवैधानिक सुरक्षा के साथ–साथ एक कारगर संस्थागत ढांचा भी खड़ा किया है। महिलाओं और बच्चों के विकास को आवश्यक गति प्रदान करने के लिए 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया। यह विभाग नोडल संगठन के रूप में अपनी भूमिका के अंतर्गत योजनाएँ, नीतियां और कार्यक्रम तैयार कर रहे सरकारी संगठनों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करता है। 1992 में स्थापित राष्ट्रीय महिला आयोग को आवंटित कार्य एवं जिम्मेदारियां काफी व्यापक हैं। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा से सबंधित तमाम पहलुओं और सशक्तिकरण प्रक्रिया को बढावा देने के सभी प्रयासों को इसके दायरे में लाया गया है। आयोग कानूनों की समीक्षा करता है। महिला अधिकारों के उल्लंघन और कार्यस्थल पर यौन–शोषण जैसी व्यक्गित शिकायतों की जांच करता है तथा महिलाओं के अधिकारों के सरंक्षण के लिए सक्षम अधिकारियों को उपर्युक्त कदम उठाने के बारे में सुझाव देता है। आयोग महिलाओं को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने के काम को भी महत्व देता है तथा पारिवारिक झगड़ों में परामर्श के लिए अक्सर महिला अदालतें भी आयोजित करता है। देष में समाज कल्याण संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा महिलाओं, बच्चों और विकलांगों के कल्याण कार्यक्रमों को स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से लागू करने के लिए 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। यह आजाद भारत का पहला संगठन है जो महिलाओं और बच्चों के विकास कार्यक्रमों को लागू करने में जनसहयोग प्राप्त करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों की मदद ले रहा है। इसके अतिरिक्त, उन महिलाओं के लिए जो विभिन्न कारणों से अपने परिवारों के पास वापस जाना नहीं चाहती हैं, उन्हें समग्र एवं एकीकृत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 2001–02 से महिला अधिकारिता कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस योजना के तहत व्यावहारिक प्रशिक्षण का प्रावधान शामिल है।

महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 'स्वयंसिद्ध' नाम की समन्वित परियोजना चलाई जा रही है। इसके अलावा गरीब महिलाओं को हस्तशिल्प जैसी गतिविधियों के संचालन के लिए ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए 1993 में राष्ट्रीय महिला कोश का भी गठन किया गया है। गरीब महिलाओं को रोजगार के परंपरागत क्षेत्रों जैसे कृषि, पशुपालन, डेरी, मछलीपालन हस्तशिल्प में अद्यतन जानकारी और नवीन कौशल उपलब्ध कराने के एक प्रयास के रूप में एसटीईपी कार्यक्रम शुरू किया गया। यह योजना उन सरकारी संगठनों, राज्य निगमों, सहकारी संस्थाओं, संघों और स्वैच्छिक संगठनों के

माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। इन सब कार्यक्रमों के अलावा अब तक की हर पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के विकास को विशेष महत्व दिया गया है। इन योजनाओं में ससंद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक–तिहाई सीटें आरक्षित करना भी शामिल था, हालांकि अभी यह विधेयक संसद में पारित होने का इंतजार कर रहा है।

महिला सशक्तिकरण एवं विकास के लिए निस्संदेह सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई एवं कई तरह के प्रयास किए गए। बावजूद इसके अभी भी विचारों, संस्कारों में उन्हें यथेष्ट समकक्षता प्राप्त करने में देर है। इसका प्रमुख कारण यह है कि एक लंबे अरसे से उन्हें जो उपेक्षा झेलनी पड़ी है, उसकी वजह से महिलाएं खुद भी अपने भीतर मानो दबी हुई हैं। इस स्थिति से उबरने का उपाय यह है कि स्त्री को कुछ विशेष सुविधाएँ दी जाएं जिससे सत्ता प्रतिष्ठानों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इस दिशा में पहला प्रयास पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था, जब संविधान संशोधन करके पंचायतीराज विधेयक में स्त्रियों के लिए तीस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया। हालांकि यह विधेयक कई वर्षों बाद कुछ संशोधनों के साथ पारित हुआ। इस प्रक्रिया की पूरी सार्थकता के लिए जरूरी है कि स्त्रियों के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में भी आरक्षण का प्रावधान किया जाए।

संविधान और कानून में बराबरी का दर्जा दिए जाने के बावजूद नारी को अपनी मुक्ति और राजनीति और समाज में उचित स्थान पाने के लिए तब तक संघर्ष करना होगा, जब तक कि पुरूष प्रधान समाज को यह अहसास नहीं कराया जाता कि स्त्री भी उन्हीं की हाड़–मांस से युक्त एक बुद्धिमान प्राणी है। शारीरिक संरचना में कुछेक प्राकृतिक अंतरों की वजह से उसकी कार्यक्षमता और बौद्धिक क्षमता पर सवाल नहीं उठना चाहिए कि वह हर क्षेत्र में पुरूष की बराबरी करने में सक्षम नहीं है। हालांकि स्त्रियों ने हर क्षेत्र में अपनी सक्षम और सफल उपस्थिति दर्ज कराते हुए इस चिरकालिक अवधारणा को खंड–खंड करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। स्त्री मुक्ति आंदोलन के दौरान विकसित देशों की जागरूक महिलाओं को पुरूष प्रधान समाज की इस भावना के कारण खासी कठिनाई का सामना करना पड़ा है कि स्त्रियां स्वभाव से कमजोर तथा भीरू होती हैं। इसी वजह से विकसित देशों में हर तरफ यह देखा जा सकता है कि स्त्रियों के जागरूक होने तथा स्त्री मुक्ति आंदोलन चलाने पर भी उच्च पदों पर उनकी संख्या बहुत कम है।

आजादी के बाद भारतीय महिलाओं ने अपने विकास में काफी प्रगति की

है और भारतीय समाज के निर्माण में महती भूमिका अदा की है। इसके बावजूद पुरूष प्रधान समाज की मानसिकता और स्त्री की पूर्व में दलितों जैसी स्थिति ने अभी भी दयनीय स्थिति बरकरार रखी है। यही नहीं, मानसिक विकास की वर्तमान अवस्था में भी लड़कियों के पालन–पोषण में भेदभाव बरता जाता है। कठोर कानूनों के बावजूद आधुनिक उपकरणों की सहायता से गर्भस्थ शिशु की लिंग पहचान करके कन्या भ्रूण की हत्या की जा रही है और दहेज रूपी दानव तो हर रोज न जाने कितनी महिलाओं को अपना शिकार बना रहा है। इस तरह की कुछ बातें न सिर्फ महिला सशक्तिकरण की दिशा में चल रहे प्रयासों को कमजोर कर रही हैं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य निर्माण प्रक्रिया में भी बाधा उत्पन्न कर रही हैं।

दरअसल सशक्तिकरण का अभिप्राय ही सत्ता प्रतिष्ठानों में महिलाओं की साझेदारी से है। यह दुःख की बात है कि आज भी लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी बीस प्रतिशत से ज्यादा नहीं है जबकि आबादी में उनकी संख्या करीब पचास प्रतिशत है। हालांकि सवाल यह भी उठता है कि लोकसभा और विधानसभाओं में अलग से आरक्षण देना उनके उत्कर्ष में कितना सहायक होगा? यह सर्वविदित है कि आरक्षण से लाभार्थियों का सामुदायिक विकास अवश्य हुआ, लेकिन उनके दायरे में भी कुछ समृद्धि के टापू तैयार हो गये और ये संपन्न लोग अपने ही समुदाय से कटे हुए हैं। आरक्षण के माध्यम से स्त्री सशक्तिकरण की यह अवधारणा ऊपर से आकर्षक जरूर लगती है, लेकिन अभी तक के अनुभव यही बताते हैं कि आरक्षण प्राप्त समुदायों में वास्तविक सुख कुछेक को ही मिल सका है, बाकी लोग मनोवैज्ञानिक सुख का ही आनंद ले रहे हैं। इसलिए आरक्षण दे देना स्त्री समुदाय की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता।

अतः आरक्षण को समस्या के समाधान के हथियार के रूप में लेने के बजाय उसे मुख्यधारा में लाने का उपाय मात्र समझना ही बेहतर है। ज्यादा अच्छा यह होगा के स्त्रियों को वस्तुनिष्ठ तौर पर ऐसी सुविधाएँ दी जाएं जिनके सहारे वे अपने व्यक्तित्व का स्वेच्छा से निर्माण कर सकें। उनके स्वास्थय, शिक्षा और आजीविका के लिए यदि अधिक–से–अधिक सहायता मिले तो वे अपनी सृजनशीलता से क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती हैं। अभी तो उनकी खुद की समस्या यह है कि उनके व्यक्तित्व पर पुरूष वर्चस्व के कारण जो कृत्रिम सामाजिक व्यक्तित्व आरोपित है, उसी से वे पूरी तरह अपने को बचा नहीं पा रही हैं। आवश्यकता इस बात की है कि स्त्री उस मुखौटे को उतार फेंके जो उसे उसकी इच्छा के विरूद्ध पहनाया गया और बाद में जिसे वह स्वभाविक समझने लगी। चीन में लोहे के जूते पहनाकर स्त्री

के पांव छोटे कर दिए जाते थे। अर्थात् विष्व के हर समाज में लोहे के सांचे में जकड़कर स्त्री के व्यक्तित्व को बौना बना दिया गया और स्त्री इसी बौनेपन को अपना गुण समझने लगी। अतः इस मानसिकता से मुक्ति जरूरी है, तभी सशक्तिकरण वास्तविक अर्थों में दिखेगा। आरक्षण से ज्यादा जरूरी यह है कि स्त्री अपने गढ़े हुए बनावटी व्यक्तित्व से अपने को मुक्त कर सके, अर्थात् उसे ऐसा परिवेश और ऐसी सहायता मिले। महिला सषक्तिकरण अभियान को वास्तविक सार्थकता तभी मिल सकती है।

सन्र्दभ ग्रन्थ सूची

1. समकालीन राजनैतिक मुद्दे, किताब, लेखक डा0 बी0 डी0 लाल, पेज नं0 213, 214 ओमप्रकाशन आगरा।

2. तदैव ।

3. तदैव ।

4. तदैव ।

5. तदैव ।

6. सिविल सर्विसेज क्रानिकल मार्च 2012 पेज नं0 23 प्रकाशक एवं मुद्रक मृणाल ओक्षा ।

7. तदैव ।

8. तदैव ।

9. तदैव ।

10. निबन्ध बोध किताब पेज नं0 99, महिला सशक्तिकरण पर लेख।

11. तदैव ।

12. तदैव ।

13. नवभारत टाइम्स, दिनांक 08 मार्च 2013, समाचार पत्र लैंगिक मुद्दे।

14. तदैव ।

15. तदैव ।